

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 450

मुकदमा नम्बर 158 / 2024

दर्ज दिनांक— 30.09.2024

फूलचन्द पुत्र घीसा जाति जांगिड, निवासी चारां का बास तन परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़,
जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सज्जन चाहर

वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 25.04.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित खाता संख्या नया 76 पुराना 78 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2874,2877,2878,2879,2880,2881,2887,2892,2894,2956, 2957,2859,2960,2961,2962 रकबा क्रमशः 0.33, 0.29, 0.33, 0.17, 0.12, 0.22, 0.08, 0.14, 0.04, 0.13, 0.03, 0.05, 0.27, 0.20, 0.41, 0.25 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 3.06 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 220 पुराना 122 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 2886, 2890, 2895,2896, रकबा 0.08, 1.09, 0.57, 0.38 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.12 है0 भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/24 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम फूला पुत्र घीसा के स्थान पर फूलचन्द पुत्र घीसाराम दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। इसको इसी अनुसार शुद्ध किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)